मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए
'राजनीतिक दलों के साथ अधिक सहयोग और पारदर्शिता से काम करें'
भ्रामक समाचारों, गलत तथ्यों के प्रसार को रोकने के लिए सतर्क रहें

जयपुर, मार्च 12. मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) सहित निर्वाचन विभाग की गतिविधियों से सम्बद्ध अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राजनीतिक दलों के साथ अधिक सहयोग और पारदर्शिता से काम करें. साथ ही, मतदाता सूचियों के नियमित अपडेशन, चुनावी प्रक्रियाओं और निर्वाचन आयोग के बारे में प्रकाशित-प्रसारित भ्रामक सूचनाओं, गलत तथ्यों और फेक न्यूज़ के प्रति सतर्क और सक्रियता के साथ ऐसी सूचनाओं के प्रचार-प्रसार पर रोक की कार्यवाही करें.

श्री महाजन बुधवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग चुनाव से संबंधी विभिन्न प्रकरणों और विषयों पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ बेहतर समन्वय, सहयोग और पारदर्शिता के साथ काम करने के प्रति गंभीर है. इस सन्दर्भ में आयोग ने हाल ही में राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और वरिष्ठ सदस्यों को पत्र लिखकर 31 मार्च तक सुझाव भी मांगे हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग के इस पत्र की भावना के अनुरूप ही निचले स्तर तक राजनीतिक दलों के साथ समन्वय रखा जाए और उनके द्वारा ध्यान में लाए गए मुद्दों पर कानूनी दायरे में समुचित कार्यवाही की जाए. उन्होंने राजनीतिक दलों की ओर से मतदान केन्द्र स्तर तक एजेंट (बीएलए) का नामांकन और चुनावी प्रक्रियाओं के प्रबंधन में इन एजेंट्स की तय दिशा-निर्देशों के अनुरूप सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करवाने के भी निर्देश दिए.

श्री महाजन ने कहा कि सभी जिलों में ईआरओ के स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक 20 मार्च से पहले कर उनके साथ विभिन्न विभिन्न विषयों पर सुझावों और

विचारों का विनिमय कर लिया जाए. उन्होंने अगले चरण में डीईओ के स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ विमर्श बैठक 25 मार्च से पहले कर इनमें प्राप्त सुझावों को विभाग मुख्यालय तक अग्रेषित करने के निर्देश दिए.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डीईओ से मतदाता सूचियों के अपडेशन से सम्बंधित लंबित प्रकरणों का निपटारा 21 मार्च तक पूरा करने को कहा. उन्होंने बताया कि आयोग ने नए नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन करने से सम्बंधित आवेदनों को 21 मार्च के बाद लंबित नहीं रखने के निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने सूचियों में नए नाम जोड़ने के क्रम में मतदाता लिंगानुपात (जेंडर रेश्यो) और मतदाता-जनसंख्या अनुपात (ईपी रेश्यो) को सुधारने पर भी फोकस करने को कहा. उन्होंने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर)-2025 के दौरान राजस्थान द्वारा जेंडर रेश्यो और ईपी रेश्यो बढ़ाने की आयोग ने सराहना की है.

श्री महाजन ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया से जुडी भ्रामक जानकारियों और गलत खबरों के प्रसारण को रोकने के लिए भी अधिक सजगता और सक्रियता के साथ काम करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी जगह पर जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग समितियों (डीएमसीएमसी) का पुनर्गठन कर दिया गया है. इस समितियों के सदस्य विभिन्न प्रिन्ट मीडिया, समाचार चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर गलत, भ्रामक एवं फेक न्यूज के प्रसार पर रोक के लिए निर्वाचन आयोग की मानक संचालन प्रक्रिया निर्देशों के अनुरूप त्वरित कार्यवाही करें.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किसी संदिग्ध सूचना का प्रकाशन-प्रसारण संज्ञान में आने पर सम्बंधित अधिकारी इसकी जानकारी से निर्वाचन विभाग के स्तर पर गठित निगरानी एवं क्रियान्वयन समिति को अवगत करववाएं. साथ ही, संदिग्ध विषय पर सही तथ्यों के साथ एक नोट तैयार कर जारी कर उसे सम्बंधित पत्र-पत्रिका, समाचार चैनल अथवा सोशल मीडिया हैंडल के साथ साझा कर सही सूचना प्रकाशित करवाएं. साथ ही, सम्बंधित अधिकारी की कार्यवाही की रिपोर्ट विभाग मुख्यालय को भेजें, ताकि इसके बारे में समय पर चुनावी आयोग को सूचित किया जा सके.

इस वीडियो कांफ्रेंस में सभी जिला कलक्टर और ईआरओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.